बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

पत्रांक–10/नि0 (ब0पा0) 02/2025.....2024(नि).....दिनांक– ....28/05..../2025

वित्तीय वर्ष 2025–26 में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के अन्तर्गत "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत निजी क्षेत्रों में बकरी फार्म (100 बकरी + 5 बकरा तथा 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता) की स्थापना पर अनुदान की योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु।

"कार्यान्वयन अनुदेश"

वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृति आदेश पत्र सं0– 6 एस0एस0 (6) 42/ 2014– 2240, दिनांक– 21.05.2025 के द्वारा कुल रूपये 1498.44 लाख (चौदह करोड़ अन्ठानवे लाख चौवालीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर सात निश्चय–2 अन्तर्गत **"समेकित बकरी एवं भेंड़ विकास योजना"** के तहत बकरी विकास के लिये राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इच्छुक किसानों अथवा परम्परागत बकरीपालकों के द्वारा निजी क्षेत्र में Goat Farm **(100 बकरी + 5 बकरा तथा 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता)** की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 60 प्रतिशत) एवं प्रशिक्षण देकर बकरी/बकरा पालन को प्रोत्साहित करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त स्वीकृति आदेश की कंडिका–7 के आलोक में योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश (**कार्यान्वयन अनुदेश**) निर्गत किया जाता है :–

1. उद्देश्य :–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में कम उत्पादकता वाली स्थानीय नस्ल की बकरियों को उच्च उत्पादकता वाले नस्ल से प्रतिस्थापित किया जाना है। साथ ही, इच्छुक किसानों अथवा परम्परागत बकरीपालकों के द्वारा बकरी पालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है। बकरी/बकरा का माँस पशुजन्य प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत है। बकरी/बकरा उत्पादन से पशु जन्य प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है तथा बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होता है। साथ ही बकरीपालकों की आय में वृद्धि करना तथा राज्य में खादय पदार्थों एवं प्रोटीन की उपलब्धता में भी वृद्धि करना है।

दूरभाष संख्या: 0612-2215962 **ई-मेल:** dirahd-bih@nic.in **वेबसाइट:** state.bihar.gov.in/ahd

2. योजना के मुख्य बिन्दु :–

(i) इस योजना के कार्यान्वयन से निम्नांकित लाभ होंगे :–

(i) राज्य में बकरी/बकरा उत्पादन से मानव उपयोग के निमित्त पशु जन्य प्रोटीन की उपलब्धता में वृद्धि।

(ii) उन्नत नस्ल के बकरी/बकरा के उत्पादन में राज्य की आत्मनिर्भरता।

(iii) रोजगार के अवसर की उपलब्धता।

(iv) बकरीपालकों की आय में वृद्धि।

(v) बकरा/बकरी मांस उत्पादन में वृद्धि।

(ii) वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रस्तावित योजना के तहत बिहार पशु प्रजनन नीति– 2011 में अनुशंसित नस्लों यथा– ब्लैक बंगाल/ जमुनापारी/ बारबरी/ बीटल/ जखनाना नस्ल के निजी क्षेत्रों में बकरी फार्म (100 बकरी + 5 बकरा एवं 500 बकरी + 05 बकरा क्षमता) की स्थापना पर 50 प्रतिशत (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 60 प्रतिशत) अनुदान दिया जाना है।

(iii) 100 बकरी + 05 बकरा क्षमता के बकरी फार्म की इकाई की परियोजना लागत (Insurance Cost सहित) अनुलग्नक– 1 एवं 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता के बकरी फार्म की इकाई की परियोजना लागत (Insurance Cost सहित) अनुलग्नक– 2 के रूप में संलग्न है।

(iv) उक्त दोनो क्षमता अर्थात 100+05 एवं 500+25 के बकरी फार्म हेतु "चारा भूमि पर चारा उत्पादन" अथवा "हाइड्रोपोनिक्स विधि से चारा उत्पादन" के लिए अनुमानित राशि का आकलन करते हुए परियोजना लागत की गणना की गयी है। "हाइड्रोपोनिक्स विधि से चारा उत्पादन" के लिए संयंत्र के संस्थापन हेतु अनुमानित लागत की विवरणी 100+05 क्षमता के बकरी फार्म हेतु अनुलग्नक– 1 (ए) के रूप में तथा 500 + 25 क्षमता के बकरी फार्म हेतु अनुलग्नक– 2 (ए) के रूप में संलग्न है।

(v) चयनित लाभुकों को बकरी फार्म कम से कम पाँच (5) वर्षो तक संचालित करना अनिवार्य होगा।

(vi) वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना अन्तर्गत विभिन्न क्षमताओं के बकरी फार्म के इकाई लक्ष्य तथा उसके स्थापना पर अनुमानित स्थापना लागत एवं अनुदान का विवरण निम्नवत है:–

(क) चारा भूमि पर चारा उत्पादन की स्थिति में :–

क्र0 सं0	लाभुक की कोटि	बकरी फार्म इकाई की क्षमता	बकरी फार्म ईकाई का लक्ष्य	अनुमानित स्थापना लागत(Insurance costसहित) (लाख रूपये में)	अनुदान की दर	अनुदान राशि (अधिकतम/ लाख रूपये में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	सामान्य	100+5	102	13.04	50%	6.52
2	सामान्य	500+25	08	65.20	50%	32.60
3	अनुसूचित जाति	100+5	15	13.04	60%	7.82
4	अनुसूचित जनजाति	100+5	05	13.04	60%	7.82

(ख) हाईड्रोपोनिक्स विधि से चारा उत्पादन की स्थिति में :–

क्र0 सं0	लाभुक की कोटि	बकरी फार्म इकाई की क्षमता	बकरी फार्म ईकाई का लक्ष्य	अनुमानित स्थापना लागत(Insurance costसहित) (लाख रूपये में)	अनुदान की दर	अनुदान राशि (अधिकतम/ लाख रूपये में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	सामान्य	100+5	102	17.21	50%	8.605
2	सामान्य	500+25	08	80.17	50%	40.085
3	अनुसूचित जाति	100+5	15	17.21	60%	10.326
4	अनुसूचित जनजाति	100+5	05	17.21	60%	10.326

हाईड्रोपोनिक्स विधि से चारा उगाना बाध्यकारी नही होगा। लाभुकों द्वारा अपनी जमीन पर हरा चारा उगाने अथवा हाईड्रोपोनिक्स विधि से चारा उगाने– किसी एक पर ही अनुमान्य अनुदान की राशि देय होगी।

* लक्ष्य से अधिक योग्य आवेदकों की प्रतीक्षारत कोटिवार वरीयता सूची निर्धारित मापदंड के आधार पर तैयार कर रखी जायेगी। इन योग्य आवेदकों को रिक्ति होने पर सशर्त चयन किया जा सकेगा।

3. (A) Goat Farm 100 बकरी+5 बकरा एवं 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता हेतु लाभुक का चयन (आवेदन पत्र/योग्यता इत्यादि) :–

इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु **समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन करकर** इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जायेगा। विज्ञापन का प्रकाशन सहायक निदेशक,

पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना के माध्यम से कराया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन **राज्य स्तर** पर किया जाएगा।

(i) योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों को **ऑनलाईन आवेदन** करना होगा। इसके लिये विभागीय वेबसाईट **state.bihar.gov.in/ahd** पर दिये गये लिन्क (link) पर जाकर **आधार संख्या / वोटर कार्ड संख्या** से **पंजीकरण (Registration)** करना होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय सभी वांछित कागजातों/अनुलग्नकों को ऑनलाईन (Online) अपलोड (Upload) करना होगा।

(ii) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पहले सभी वांछित पठनीय अनुलग्नकों (संगत विभागीय कार्यान्वयन अनुदेश के अनुरूप) को Scan कराकर **Pdf format** में **Soft copy** तैयार किया जायेगा, जिसे ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।

(iii) ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के बाद आवेदक को एक प्राप्ति रसीद प्राप्त होगा, जिसमें उनके द्वारा जमा किये गये सभी कागजातों की प्राप्ति एवं आवेदन आई.डी. अंकित होगा। प्राप्ति रसीद में अंकित आई.डी./आधार संख्या एवं पासवर्ड से लॉग–इन (**Login**) कर आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

(iv) एक आवेदक द्वारा एक ही आवेदन पत्र समर्पित किया जायेगा। आवेदक सरकारी सेवा में हो तो आवेदन मान्य नहीं होगा।

(v) पूर्व में विभागीय स्तर से बकरी फार्म स्थापना हेतु अनुदान प्राप्त/ चयनित लाभुकों को इस योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होगा।

(vi) Goat Farm 100 **बकरी** + 5 **बकरा एवं** 500 **बकरी** + 25 **बकरा** क्षमता की स्थापना की योजना निदेशालय स्तर पर सम्पूर्ण राज्य के लिए कार्यान्वित की जायेगी।

(vii) विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त ऑनलाईन लिंक खुलने की तिथि से 21 दिनों तक या लक्ष्य के विरूद्ध पाँच गुणा आवेदन ही प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यकतानुसार विज्ञापन का अवधि विस्तार/ पुनर्विज्ञापन किया जा सकेगा।

(viii) बकरी फार्म के आवेदन हेतु वांछित भूमि (आधारभूत संरचना निर्माण एवं हरा चारा उगाने हेतु) एवं राशि (स्वलागत अथवा बैंक ऋण हेतु) निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	कोटि	बकरी फार्म की क्षमता	आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि (लाख रूपये में)		भूमि की आवश्यकता	चारा भूमि पर चारा उत्पादन की स्थिति में।	हाईड्रोपोनिक्स विधि से चारा उत्पादन करने की स्थिति में।
			स्वलागत	बैंक ऋण			
1	सामान्य	100 बकरी + 5 बकरा	3.91	1.30	9000 वर्गफीट	100 डिसमिल	500 वर्गफीट
	अनुसूचित जाति/ जनजाति	100 बकरी + 5 बकरा	3.12	1.30	9000 वर्गफीट	100 डिसमिल	500 वर्गफीट
2	सामान्य	500 बकरी + 25 बकरा	19.50	6.50	45000 वर्गफीट	500 डिसमिल	2500 वर्गफीट

(ix) आधारभूत संरचना निर्माण, हरा चारा उगाने हेतु भूमि सूखा चारा तथा हाईड्रोपोनिक्स विधि से चारा उगाने की व्यवस्था लाभुक द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(x) आवेदन पत्र के साथ बकरी फार्म (Goat Farm) स्थापित करने हेतु आवश्यक भूमि उपलब्धता का ब्यौरा– भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र (Land Possession Certificate) /अद्यतन लगान रसीद, यदि लीज हो तो लीज एकरारनामा(**रू0 1000/– के Non Judicial Stamp** पर)/ लीज निबंधन की प्रति जमा करना होगा। उक्त एकरारनामा में यह अंकित रहना अनिवार्य होगा कि भूमि पर बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण किया जायेगा। भूमि अपनी हो अथवा लीज पर ली गई हो और आवेदन स्वीकृति के समय कम से कम 7 (सात) वर्षो के लिए भूमि लीज की अवधि शेष होना अनिवार्य है। लीज वाले जमीन भी भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा अद्यतन लगान रसीद संलग्न करना अनिवार्य है। पैतृक भूमि होने पर सभी दावेदारों का अनापत्ति शपथ प्रमाण पत्र संलग्न करना अनवार्य। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित बकरी फार्म (Goat Farm) का एक नजरी नक्शा भी जमा करना अनिवार्य है। साथ ही चारा उत्पान हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध होना चाहिए।

(xi) कंडिका–3A (viii) में कोटिवार/ क्षमतावार स्वलागत अथवा बैंक ऋण हेतु वर्णित वांछित राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य (अद्यतन बैंक पास बुक/ बैंक के शाखा प्रबंधक के द्वारा सत्यापित खाता विवरणी (Account Statement) /बैंक सावधि जमा अथवा बीमा का प्रत्यार्पण मूल्य (Surrender Value) इत्यादि को ऑन लाईन (Online) अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(xii) बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जायेगी। बैंक द्वारा लाभुक के ऋण ओवदन को अस्वीकृत कर दिये जाने की स्थिति में संबंधित लाभुक का यह दायित्व होगा कि वह अविलम्ब संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को इसकी सूचना दे एवं इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि वह स्वलागत से इसे पूरा करना चाहते हैं अथवा नहीं। लाभुक को स्वलागत से बकरी फार्म का निर्माण हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को आवेदन देना होगा एवं इस आवेदन की तिथि को स्वलागत के लिए वांछित राशि (कंडिका–3A (viii) के अनुसार) की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य भी समर्पित करना होगा।

(xiii) अनुदान की राशि चयनित लाभुकों को दोनों स्थिति में देय होगा। लाभुक चाहें तो बैंक से ऋण लें अथवा स्वयं व्यय का वहन करें।

(xiv) लाभुक द्वारा आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report) सलंग्न करना होगा। आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report) सलंग्न नहीं करने की स्थिति में संगत विभागीय राज्यादेश के साथ संलग्न **Model Project Report** ही मान्य होगा।

(xv) चयन की योग्यता पुरा करने वाले आवेदकों के बीच लाभुक चयन करने के क्रम में स्वलागत एवं बकरी पालन में प्रशिक्षण (न्यूनतम अवधि पाँच दिनों की) प्राप्त आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। आवेदक को बकरीपालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जमा करना होगा। सिर्फ सरकारी संस्थान अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानों से प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। उपर्युक्त प्राथमिकताओं के आलोक में वरीयता सूची ''**पहले आओ पहले पाओ**'' के आधार पर तैयार की जाएगी।

3. (B) <u>Goat Farm 100 बकरी + 5 बकरा एवं 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता हेतु लाभुक की चयन प्रक्रिया</u> :–

लाभुकों के चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। प्रकाशित किये गये विज्ञापन के तहत ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदनों की प्रारंभिक चयन (**Screening**) सहायक कुक्कुट पदाधिकारी/प्रभारी सहायक कुक्कुट पदाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(i) उक्त **स्क्रीनिंग समिति** द्वारा सभी प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों (संलग्न कागजातों सहित) की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र– 1 में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) प्रपत्र– 1 में प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर पर गठित की जाने वाली **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण –सह– जाँच समिति** द्वारा (समिति में संबंधित जिला पशुपालन पदधिकारी अध्यक्ष के रूप में तथा जिला पशुपालन कार्यालय के दो वरीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी को सदस्य के रूप में मनोनित किया जायेगा)। योग्य/ अयोग्य पाये गये सभी आवेदकों के आवेदनों की जाँच की जायेगी।

(iii) जाँच के क्रम में अयोग्य पाये गये आवेदको को आपत्ति व्यक्त करने का एक मौका दिया जायेगा। निर्धारित तिथि के अन्दर यदि किसी आवेदक के द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त की जाती है, तो उन्हें अधिकतम एक सप्ताह का समय देते हुए उन आपत्तियों के निस्तारण हेतु पुनः **स्क्रीनिंग समिति** द्वारा एक बैठक की जायेगी, जिसमें आपत्ति किये गये अयोग्य आवेदको को उपस्थित रहना होगा। बैठक की तिथि की सूचना सभी अयोग्य पाये गये आवेदको को ई–मेल/दूरभाष के माध्यम से दी जायेगी। सभी आपत्तियों का निस्तार करने के उपरान्त सभी योग्य आवेदको की जिला–वार सूची तैयार की जायेगी तथा ई–मेल के माध्यम से सभी आवेदको को प्रेषित की जायेगी अथवा संबंधित जिला पशुपालन कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(iv) त्रुटि निराकरण की बैठक में सिर्फ ऑनलाईन आवेदन के समय अपलोड किये गये कागजातों का ही सत्यापन किया जायेगा। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन के समय यदि कोई गलत कागजात अपलोड कर दिये गये हो तो सत्यापन के समय सही कागजात के साथ उपस्थित होने की भी सूचना दी जायेगी।

(v) तदोपरान्त, **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण –सह– जाँच समिति** द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये योग्य आवेदको की प्रारंभिक सूची तैयार कर **प्रपत्र–2** में क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाएगी।

(vi) क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन के स्तर पर गठित चयन **समिति** (समिति में संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन अध्यक्ष के रूप में तथा क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय के दो वरीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी को सदस्य के रूप में मनोनित किया जायेगा) द्वारा लाभुकों के अंतिम रूप से चयन हेतु क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर प्रारंभिक रूप से योग्य तथा अयोग्य पाए गए सभी आवेदकों के आवेदन पत्र, संलग्न कागजात की छाया प्रति पूर्ण चेकलिस्ट के साथ आवश्यक जाँचोपरान्त क्षेत्रीय स्तर पर प्रारंभिक रूप

से अयोग्य पाये गये आवेदकों का प्रतिवेदन (प्रपत्र–3 में) आवेदकवार संचिका में क्षेत्रीय निदेशक, कार्यालय में संधारित की जायेगी।

(vii) साथ ही क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन के स्तर पर गठित चयन **समिति द्वारा** चयनित योग्य आवेदकों का अंतिम रूप से चयन हेतु क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय द्वारा प्रपत्र– 4 में प्रतिवेदन पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(viii) लाभुकों का अंतिम रूप से चयन हेतु क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन द्वारा प्रपत्र– 4 में उपलब्ध कराये गये योग्य आवेदकों के प्रतिवेदनों को ही निदेशालय स्तर पर संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित **चयन समिति** द्वारा जाँच किया जायेगा तथा उन्हीं योग्य आवेदकों द्वारा आवेदन के समय उपलब्ध कराये गये कागजातों को हीं निदेशालय स्तर पर प्रिंट कर संधारित किया जायेगा। चयनोपरान्त सभी योग्य आवेदको की कोटिवार वरीयता सूची निम्नांकित आधार पर तैयार की जायेगी :–

(1) स्वलागत + प्रशिक्षण	–	प्रथम प्राथमिकता
(2) स्वलागत	–	द्वितीय प्राथमिकता
(3) बैंक ऋण + प्रशिक्षण	–	तृतीय प्राथमिकता

वरीयता क्रम आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होगा अर्थात् ''**पहले आओ पहले पाओ**'' के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। वरीयता सूची में सर्वप्रथम प्रथम प्राथमिकता के दायरे में आनेवाले आवेदक आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होंगे। तत्पश्चात् क्रमशः द्वितीय प्राथमिकता एवं तृतीय प्राथमिकता के दायरे में आनेवाले आवेदक आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होंगे। शेष आवेदकों की वरीयता उपर्युक्त वर्णित तीनों प्राथमिकताओं के पश्चात् आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होगी।

(ix) लाभुकों का अंतिम रूप से चयन संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित **चयन समिति** द्वारा किया जायेगा। लाभुकों के चयन हेतु **चयन समिति** का गठन निम्नवत् किया जायेगा

(क) संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय	–अध्यक्ष
(ख) शोध पदाधिकारी, अवि–अजा शाखा, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना	– सदस्य
(ग) नोडल पदाधिकारी (बकरी विकास योजना)	– सदस्य

(x) इसके पश्चात निदेशालय स्तर पर ''**चयन समिति**'' द्वारा उक्त सूची से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वरीयतानुसार कोटिवार लाभुकों का अंतिम रूप से चयन किया जायेगा। लक्ष्य से अधिक योग्य आवेदकों की प्रतीक्षारत कोटिवार वरीयता सूची निर्धारित मापदंड के आधार पर तैयार कर रखी जायेगी।

(xi) **चयन समिति** द्वारा लाभुकों के अंतिम चयन के उपरांत निदेशक, पशुपालन के अनुमोदन से लाभुकों के चयन संबंधी **स्वीकृति पत्र** निर्गत किया जायेगा एवं इसकी प्रति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जायेगी।

(xii) स्वीकृति पत्र निर्गत होने के **7 दिनों** के अन्दर चयनित लाभुकों द्वारा विभागीय प्रतिनिधि (संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी) के साथ एकरारनामा कर प्रपत्र – (5) में देना अनिवार्य होगा।

(xiii) आगे अगर किन्ही कोटियों में रिक्तियाँ (आवश्यकतानुसार कोटिवार आवेदन प्राप्त न होने के स्थिति में/ चयनित लाभुकों द्वारा कार्य करने में अनइच्छुक/ असमर्थ होने की स्थिति में) प्राप्त होती हैं तो आवश्यकतानुसार चयन समिति द्वारा पूर्व निर्धारित कोटिवार वरीयता सूची से नये लाभुकों का चयन किया जा सकेगा।

4. Goat Farm का निर्माण एवं अनुदान की राशि का भुगतान :–

(i) **Goat Farm100 बकरी + 5 बकरा एवं 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता** में सामान्य घटक एवं अनुसचित जाति/ जनजाति घटक को 50 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत अनुदान राशि (कंडिका 2 के उप कंडिका के क एवं ख विवरणी के अनुसार) दो किस्तों में दिया जाएगा। अर्थात देय अनुदान राशि का 40 प्रतिशत आधारभूत संरचना निर्माण पर एवं शेष अनुदान राशि का 60 प्रतिशत बकरा–बकरी क्रय तथा हरा चारा का उत्पादन या हाईड्रोपोनिक्स विधि से चारा उगाने के उपरान्त लाभुकों को दी जायेगी।

(ii) लाभुक के द्वारा एकरारनामा (प्रपत्र – 5) समर्पित करने के उपरान्त उनके द्वारा समर्पित परियोजना प्रस्ताव/ संगत विभागीय राज्यादेश के साथ संलग्न **Model Project Report** के अनुरूप **60 दिनों के अन्दर** बकरी फार्म (GoatFarm)के आधारभूत संरचना का निर्माण कर लिया जायेगा। 60 **दिनों के अंदर** बकरी फार्म (Goat Farm) के आधारभूत सरंचना का निर्माण पूर्ण नहीं करने की स्थिति में संबंधित लाभुक का स्वीकृति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसके लिए लाभुक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(iii) बकरी फार्म निर्माण संलग्न प्रोजेक्ट के अनुसार निर्धारित क्षेत्रफल में किया जायेगा। शेड निर्माण में पक्का फर्श एवं दिवाल के उपर लोहे की मोटी जाली, सीमेन्ट, छड़ एवं गिट्टी या ईट का प्लास्टर पीलर तथा छत में लोहे का ट्रस एवं छत एस्बेस्ट्स या सी0जी0 आई0 शीट या टिन/ फाईवरशीट का उपयोग होगा। इसके पश्चात् अगले 15 दिनों में बकरी/बकरा का क्रय कर विधिवत् फार्म का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(iv) बकरी फार्म (GoatFarm)के लिए बकरी/बकरा का क्रय ''**क्रय समिति**'' के समक्ष राज्य के अन्दर पशु हाटों एवं मेलों में किया जाएगा। क्रय के उपरान्त खरीदे गये बकरी/बकरा के साथ लाभुक का फोटोग्राफी होना अनिवार्य होगा।

(v) क्रय समिति में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी अध्यक्ष के रूप में तथा सदस्य के रूप में भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त) अथवा सहायक कुक्कुट पदाधिकारी एवं जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक (जो भी वरीय हों) के साथ संबंधित बैंक प्रबंधक (बैंक ऋण की स्थिति में) या उनके प्रतिनिधि होंगे।

(vi) बकरी फार्म (GoatFarm)के आधारभूत सरंचना का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् लाभुक के द्वारा प्रथम किस्त के अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन विहित **प्रपत्र– (6)** में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा, जिसकी प्राप्ति आवेदक को दी जायेगी। आवेदन पत्र के साथ बकरी फार्म (GoatFarm) के आधारभूत सरंचना के साथ लाभुक का फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(vii) क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति (समिति में क्षेत्रीय निदेशक या उनके द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी/सहायक कुक्कुट पदाधिकारी होंगें) द्वारा बकरी फार्म (आधारभूत संरचना निर्माण) का स्थल निरीक्षण किया जायेगा तथा जिसकी विधिवत् रूप से फोटोग्राफी करायी जायेगी। स्थल निरीक्षण के समय **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** के सदस्य के साथ लाभुक एवं बकरी फार्म के आधारभूत सरंचना का अन्दर एवं बाहर से रंगीन फोटोग्राफी कर GEO टैग कराना अनिवार्य है।

(viii) स्थल निरीक्षण के समय कार्यान्वयन अनुदेश मे निहित प्रावधानों एवं आवश्यक जाँचोंपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात् लाभुक को अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु स्थल निरीक्षण–सह–जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र–7 के साथ सभी आवश्यक कागजात (सभी वांछित अनुलग्नकों सहित) जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बी0एल0डी0ए0, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। लाभुकों को अनुदान भुगतान कार्यान्वयन अनुदेश में निहित प्रावधानों के आलोक में ही किया गया है अथवा नही कि सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी की होगी।

(ix) प्रपत्र– 7 एवं सभी आवश्यक कागजात (सभी वांछित अनुलग्नकों सहित) प्राप्त होने के 10 दिनों के अन्दर बी0एल0डी0ए0, पटना द्वारा अनुदान की राशि संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर लाभुक को एकाउन्टपेयी चेक/खाता अंतरण (DBT/RTGS/NEFT) के माध्यम से अनुदान की राशि का भुगतान की जायेगी।

(x) बकरी फार्म (Goat Farm) के आधारभूत सरंचना एवं बकरी क्रय/ हरा चारा उत्पादन अथवा हाईड्रोपोनिक्स विधि से चारा उत्पादन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् लाभुक के द्वारा द्वितीय किस्त के अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन विहित प्रपत्र **प्रपत्र– (6)** में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी

के कार्यालय में जमा करना होगा, जिसकी प्राप्ति आवेदक को दी जायेगी। आवेदन पत्र के साथ बकरी फार्म (क्रय किये गये बकरियों सहित) का रंगीन फोटोग्राफ एवं बकरी क्रय रसीद साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(xi) क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति (समिति में क्षेत्रीय निदेशक या उनके द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी/सहायक कुक्कुट पदाधिकारी होगें) द्वारा बकरी फार्म (आधारभूत संरचना निर्माण) का स्थल निरीक्षण किया जायेगा तथा जिसकी विधिवत् रूप से फोटोग्राफी करायी जायेगी। स्थल निरीक्षण के समय **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** के सदस्य के साथ लाभुक एवं बकरी फार्म (क्रय किये गये बकरियों सहित) का अन्दर एवं बाहर से रंगीन फोटोग्राफी कर GEO टैग कराना अनिवार्य है।

(xii) स्थल निरीक्षण के समय कार्यान्वयन अनुदेश मे निहित प्रावधानों एवं आवश्यक जाँचोंपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात् लाभुक को अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु स्थल निरीक्षण–सह–जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र–7 के साथ सभी आवश्यक कागजात एवं समिति द्वारा अभिप्रमाणित बकरी क्रय रसीद सहित (सभी वांछित अनुलग्नकों सहित) जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बी0एल0डी0ए0, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। लाभुकों को अनुदान भुगतान कार्यान्वयन अनुदेश में निहित प्रावधानों के आलोक में ही किया गया है अथवा नही कि सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी की होगी।

(xiii) प्रपत्र– 7 एवं सभी आवश्यक कागजात एवं समिति द्वारा अभिप्रमाणित बकरी क्रय रसीद सहित (सभी वांछित अनुलग्नकों सहित) प्राप्त होने के 10 दिनों के अन्दर बी0एल0डी0ए0, पटना द्वारा अनुदान की राशि संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर लाभुक को एकाउन्टपेयी चेक/खाता अंतरण (DBT/RTGS/NEFT) के माध्यम से अनुदान की राशि का भुगतान की जायेगी।

(xiv) हरा चारा उत्पादन हेतु अनुदान की राशि द्वितीय किस्त में ही समाहित है, जिसका भुगतान प्रत्येक वर्ष के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर लाभुक को योजना के अंतिम वर्ष में किया जायेगा।

हाईड्रोपोनिक्स विधि से चारा उत्पादन की स्थिति में हाइड्रोपोनिक्स संयत्र स्थापित करने के उपरान्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अनुदान की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।

(xv) लाभुक को अनुमान्य अनुदान की राशि का भुगतान बैंक ऋण की स्थिति में लाभुक के ऋण खाता एवं स्वलागत की स्थिति में लाभुक के बैंक खाता में किया जायेगा।

(xvi) अनुदान का भुगतान एकाउन्टपेयी चेक/खाता अंतरण (DBT/RTGS/NEFT) द्वारा किया जायेगा जिसकी प्राप्ति का साक्ष्य संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से अपने कार्यालय में संधारित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अनुदान भुगतान के साक्ष्य की प्रति निदेशालय को भी विधिवत रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(xvii) संगत राज्यादेश की कंडिका–11 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना के लिये स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक, पशुपालन, बिहार के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी (बी0एल0डी0ए0), पटना के पी0एल0 खाता सं0 PBBPLA028 में अंतरित किया जायेगा तथा कार्यान्वयन करने हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।

(xviii) वित्तीय वर्ष 2025–26 में सात निश्चय–2 के तहत "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के सफल कार्यान्वयन के लिये राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्र में 100 बकरी + 5 बकरा तथा 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता के बकरी फार्म (Goat Farm) की स्थापना पर पर 50 प्रतिशत (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 60 प्रतिशत) अनुदान तथा चयनित लाभुकों को प्रशिक्षण देकर बकरी/बकरा पालन को प्रोत्साहित करने की योजना हेतु कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नवत है:–

क्र0 सं0	कोटि	बकरी फार्म की क्षमता	भौतिक लक्ष्य (बकरी फार्म की संख्या)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)					
				3106 सहायक अनुदान– गैर वेतन	1301 कार्यालय व्यय	2003 प्रशिक्षण व्यय	2002 कान्फ्रेन्स, कार्यशाला, सेमिनार	1601 प्रकाशन एवं मुद्रण	2601 विज्ञापन एवं प्रकाशन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सामान्य	100+5	102	877.71	11.00	11.00	12.00	13.10	20.50
		500+25	08	320.68					
	कुल		**110**	**1198.39**	**11.00**	**11.00**	**12.00**	**13.10**	**20.50**

2	अनुसूचित जातियों के	100+5	15	154.89	4.50	1.50	4.50	3.00	6.15
3	जनजातीय क्षेत्र	100+5	05	**51.63**	2.00	0.50	1.50	1.00	1.28
	कुल		**05**	**51.63**	**2.00**	**0.50**	**1.50**	**1.00**	**1.28**
	कुल(1 +2+3)		**130**	**1404.91**	**17.50**	**13.00**	**18.00**	**17.10**	**27.93**

5. योजना का अनुश्रवण/अन्यान्यः–

(i) जिला स्तर पर योजना का अनुश्रवण संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से किया जायेगा।

(ii) पशुपालन निदेशालय द्वारा जिला–वार लाभुकों की सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड (Upload) की जायेगी तथा संबंधित जिला पशुपालन कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(iii) योजना अन्तर्गत चयनित लाभुकों द्वारा प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को बकरी फार्म (GoatFarm) **का मासिक प्रगति प्रतिवेदन** समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(iv) जिला अन्तर्गत स्थापित होने वाले बकरी फार्म के बकरा–बकरी की स्वास्थ्य जाँच तथा तकनीकी परामर्श संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी/भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार नियमित रूप से किया जाएगा।

(v) संबंधित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी/संबंधित भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी अथवा जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा नामित पशु चिकित्सा पदाधिकारी की उपस्थिति में बकरी/बकरा का स्वास्थ्य जाँच, पी0पी0आर0 टीकाकरण, Insurance तथा Ear-tagging की कार्रवाई की जायेगी।

(vi) योजना की प्रगति की मासिक समीक्षा विभागीय स्तर पर की जायेगी।

(vii) जिला तथा प्रंखंड स्तर पर किसान गोष्ठी/कार्यशाला, मोबाईल एल0 सी0 डी0 के माध्यम से बकरी पालन का विडियो का पंचायतों में प्रसारण, इत्यादि द्वारा पशुपालकों में तकनीकी बकरी पालन एवं लाभ के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी।

(viii) पशुपालकों के बीच जागरूकता सामग्रियों यथा :– पुस्तिका, लिफलेट, पम्पलेट, कैलेन्डर इत्यादि का वितरण किया जाएगा।

(ix) विभिन्न क्षमता के बकरी फार्म हेतु चयनित लाभुकों को राज्य में तथा राज्य के बाहर उपलब्ध प्रतिष्ठित संस्थानों में बकरी पालन, तकनीकी प्रबंधन एवं पशु पोषण, रोग तथा निदान इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण निदेशालय स्तर से कराया जाएगा।

(x) इस योजना के तहत प्रचार–प्रसार (प्रकाशन एवं मुद्रण तथा विज्ञापन एवं प्रकाशन हेतु) हेतु कर्णाकित 3 प्रतिशत राशि का व्यय सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना के माध्यम से किया जायेगा।

(xi) राज्य/जिला/प्रखंड/पंचायत स्तर पर योजना का पूर्णरूपेण प्रचार–प्रसार कर ऑन लाईन (On line) आवेदन प्राप्त किया जायगा।

(xii) लक्ष्य एवं निधि की उपलब्धता के आलोक में आवेदकों का चयन कियजाएगा जो निर्धारित शर्तो को पूरा करते हों। चयनित लाभुक द्वारा कम से कम पाँच वर्षो तक बकरी फार्म का संचालन किया जाएगा।

(xiii) चयनित लाभुक की यदि किसी कारणवश मृत्यु हो जाती हो और यदि उनके आश्रित सदस्य बकरी फार्म नियमानुसार चलाने हेतु इच्छुक हो, तो उनके द्वारा कार्यान्वयन अनुदेश में निहित प्रावधान के अनुसार बकरी फार्म का क्रियान्वयन करने संबंधी शपथ पत्र तथा मृतक के आश्रित सदस्यों का भरण–पोषण करने संबंधी शपथ पत्र जिला पशुपालन कार्यालय में जमा करना होगा। संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा सभी कागजातों के जाँच कर सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की सम्पुष्टि अपने स्तर से करने के उपरान्त सही पाये जाने पर संचालित बकरी फार्म को चलाने हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा नामित किया जा सकता है।

(xiv) 100 बकरी + 05 बकरा तथा 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता में चयनित लाभुक द्वारा यदि निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्य शुरू नही किया जाता हो या वे कार्य करने को इच्छूक नही हो या स्वीकृति आदेश रद्द करने हेतु जिला पशुपालन कार्यालय में आवेदन किये हो तो उन आवेदकों की स्वीकृति रद्द करने की कार्रवाई जिला पशुपालन पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन द्वारा स्वीकृति रद्द करने संबंधी पत्र निर्गत किया जायेगा एवं प्रतिलिपि पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xv) 100 बकरी + 05 बकरा तथा 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता में बैक ऋण के तहत चयनित लाभुक द्वारा यदि किसी कारणवश बैंक ऋण स्वीकृत नही हो पाती है तथा वह स्वालागत से योजना करने हेतु इच्छूक हो तो वैसे लाभुकों के बैंक ऋण से स्वालागत में योजना करने संबंधी पत्र जिला पशुपालन

पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन के स्तर से निर्गत किया जायेगा एवं प्रतिलिपि पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xvi) किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिये अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

28/5

(नवदीप शुक्ला)
निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक– 10 नि0 (ब0पा0) 02/2025 2024 (नि) /पटना–15, दिनांक– 28/05/2025

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

– निदेश दिया जाता है कि कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में योजना एवं इसके आवेदन प्रक्रिया का व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, मौर्यालोक, बी0 ब्लॉक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

28/5

निदेशक, पशुपालन।

पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में सात निश्चय–2 के तहत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में 100 बकरी + 05 बकरा एवं 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता के बकरी फार्म की स्थापना पर अनुदान की योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु।

मॉडल आवेदन पत्र

बकरी इकाई की क्षमता हेतु आवेदन –(क) 100 बकरी + 05 बकरा की क्षमता – ☐

(ख) 500 बकरी + 25 बकरा की क्षमता – ☐

आवेदक का पासपोर्ट साईज का स्व–अभिप्रमाणित फोटोग्राफ।

1. आवेदक का नाम :–..

2. पिता / पति (जो लागु ना हो उसे काट दे) का नाम :–..

....

3. जन्म तिथि :– ☐☐☐☐☐☐☐☐

4. उम्र (पूर्ण वर्षो में) :– ☐☐ वर्ष

5. आधार संख्या :– ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6. पैन कार्ड :– ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7. वोटर आई डी0 : – ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

8. शैक्षणिक योग्यता :–..

9. पेशा :– ....

10.कोटि :–(सही बॉक्स में ✓ लगायें)

(क) सामान्य – ☐ (ख) अनुसूचित जाति– ☐ (ग) अनुसूचित जन जाति– ☐

(अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लियेजाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

11. स्थायी पता :–

ग्राम– .... पो0– ....

थाना – .... प्रखंड – ....

पिन कोड – .... जिला – ....

12. दूरभाष/मोबाईल नं0 :–

13. भूमि का ब्यौरा (जिसका उपयोग बकरी फार्म की स्थापना के लिए किया जाना है)

(क) निजी – ☐ (ख) पैतृक – ☐ (ग) लीज – ☐ (सही बॉक्स में ✓लगायें)

नोट :–1.पैतृक भूमि होने की स्थिति में सभी हिस्सेदारो से अनापति शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2. लीज (कम से कम सात बर्ष) एकरारनामा में यह दर्शाना होगा की यह भूमि बकरी फार्म खोलने के लिये लिया गया है। लीज की जमीन का भी भू – स्वामित्व प्रमाण पत्र / अद्यतन लगान रसीद जमा करना अनिवार्य होगा। चयनोपरांत लीज को निबंधित कराना अनिवार्य है।

(भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/ अद्यतन लगान रसीद/ लीज एकरारनामा की छाया प्रति संलग्न करें)

(क) खाता :– .... (ख) खेसरा :– ....

(ग) रकबा (डेसीमल में) :– .... (घ) जिला मुख्यालय से दूरी :– ....(किमी0)

(ङ) मौजा :– .... (च) ग्राम :– ....

(छ) थाना न0 :– .... (ज) थाना :– ....

(झ)प्रखंड : – .... (ञ) जिला : – ....

(100 बकरी + 05 बकरा क्षमता हेतु शेड निर्माण के लिये 3000 वर्ग फीट एवं खुला जगह 6000 वर्ग फीट अर्थात कुल 9000 वर्ग फीट तथा हरा चारा उगाने हेतु 100 डिसमिल भूमि तथा हाईड्रोपोनिक्स विधि से चारा उगाने हेतु 500 वर्ग फीट की उपलब्धता अनिवार्य है एवं 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता हेतु शेड निर्माण के लिये 15000 वर्ग फीट एवं खुला जगह 30000 वर्ग फीट अर्थात कुल 45000 वर्ग फीट तथा हरा चारा उगाने हेतु 500 डिसमिल भूमि तथा हाईड्रोपोनिक्स विधि से चारा उगाने हेतु 2500 वर्ग फीट की उपलब्धता अनिवार्य है)

14. बकरी फार्म हेतु राशि का विवरण

(क) प्रस्तावित प्रोजेक्ट की राशिः–

योजना का प्रकार	प्रोजेक्ट की राशि हरा चारा उत्पादन/ हाईड्रोपोनिक्स विधि से चारा उत्पादन पर (लाख में)	बॉक्स में अंकित करें
100 बकरी + 05 बकरा	13.04 / 17.21	☐
500 बकरी + 25 बकरा	65.20 / 80.17	☐

(ख) आवेदक के द्वारा वित्तिय व्यवस्था का प्रकार :–

स्वलागत – ☐ बैंक ऋण– ☐ (सही बॉक्स में ✓ लगायें)

(प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करे/सलंग्न नहीं करने की स्थिति में विभाग द्वारा तैयार किया गया "मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट "ही मान्य होगा)

(ग) अनुदान की राशि :–

योजना का प्रकार	कोटिवार अनुदान की अधिकतम राशि चारा भूमि पर चारा उत्पादन की स्थिति में	
	सा0 घटक	अनु0 जा0 / अनु0 ज0 जा0 घटक
100 बकरी + 05 बकरा	कुल अनुदानित राशि –₹6,52,000.00 प्रथम किस्त की राशि –₹2,60,800.00 द्वितीय किस्त की राशि –₹3,91,200.00	कुल अनुदानित राशि –₹7,82,000.00 प्रथम किस्त की राशि –₹3,12,800.00द्वितीय किस्त की राशि –₹4,69,200.00
500 बकरी + 25 बकरा	कुल अनुदानित राशि –₹32,60,00.00 प्रथम किस्त की राशि –₹13,04,000.00 द्वितीय किस्त की राशि –₹19,56,000.00	
कोटिवार अनुदान की अधिकतम राशि हाईड्रोपोनिक्स विधि से चारा उत्पादन की स्थिति में		
	सा0 घटक	अनु0 जा0 / अनु0 ज0 जा0 घटक
100 बकरी + 05 बकरा	कुल अनुदानित राशि –₹8,60,500.00 प्रथम किस्त की राशि –₹3,44,200.00 द्वितीय किस्त की राशि –₹5,16,300.00	कुल अनुदानित राशि –₹10,32,600.00 प्रथम किस्त की राशि –₹4,13,040.00 द्वितीय किस्त की राशि –₹6,19,560.00
500 बकरी + 25 बकरा	कुल अनुदानित राशि –₹40,08,500.00 प्रथम किस्त की राशि –₹16,03,400.00 द्वितीय किस्त की राशि –₹24,05,100.00	

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15
हमारा बिहार
बिहार सरकार

(घ) आवेदक के स्तर से व्यय की जाने वाली वांछित राशि का विवरण :–

क0सं0	बकरी फार्म की क्षमता	वित्तिय व्यवस्था का प्रकार	सा0 घटक	अनु0 जा0 / अनु0 ज0 जा0 घटक
3	100बकरी + 05 बकरा	स्वलागत	₹ 3,91,000.00	₹ 3,12,000.00
		बैंक ऋण	₹ 1,30,000.00	₹ 1,30,000.00
4	500बकरी + 25 बकरा	स्वलागत	₹ 19,50,000.00	
		बैंक ऋण	₹ 6,50,00.00	

(ङ) आवेदन के समय आवेदक के स्तर से व्यय की जाने वाली वांछित राशि के साक्ष्य का विवरण :–

क0 सं0	खाताधारक का नाम	खाताधारक से संबंध (माता/पिता /पति/पत्नी)	साक्ष्य का विवरण (बचत खाता/RD/LIC इत्यादि)	खाता का अनन्य संख्या	आवेदन की तिथि को उपलब्ध राशि
1					
2					
3					

(आवेदक के द्वारा वांछित राशि के साक्ष्य हेतु स्वयं के अलावा किसी संबंधी (केवल माता, पिता, पति एवं पत्नी) के खाते की विवरणी देने पर संबंधी द्वारा अनापति शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।)

(च) यदि बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो बैंक की विवरणी : –

क0 सं0	बैंक का नाम	शाखा	बैंक का पता	ऋण की राशि
1				

15. बकरीपालन में किसी सरकारी संस्थान से न्युनतम पाँच दिनों का प्रशिक्षण :– हाँ ☐ नही ☐

यदि हाँ तो, बकरीपालन में प्राप्त प्रशिक्षण की विवरणी :–

	संस्था का नाम एंव पता	प्रशिक्षण की अवधि (दिनों में)	प्रशिक्षण का विवरण
1			

(साक्ष्य की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

16. अनुदान प्राप्ति हेतु बैंक खाता एवं अन्य का विवरण :–

क0 सं0	बैंक का नाम	शाखा	खाता संख्या	आई0 एफ0 एस0 सी0
1				

(बैंक ऋण की स्थिति में उपर्युक्त विवरणी ऋण स्वीकृति के पश्चात् ऋण खाता के संदर्भ में अलग से समर्पित की जाएगी एवं अनुदान राशि ऋण खाते में ही देय होगी ।)

17. **अनुलग्नक** :– *(आवेदन पत्र के साथ समर्पित दस्तावेजों के नाम के सामने बॉक्स में ✓लगायें)*

(क) आवेदक का फोटोग्राफ। ☐

(ख) पहचान पत्र (आधार कार्ड, ☐ वोटर आई0 डी0, ☐ पैन कार्ड) ☐ की छाया प्रति।

(ग) आवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति। ☐

(घ) जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति। ☐ *(अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिये प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)*

(ङ) बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति (प्रथम पृष्ठ एवं आवेदन की तिथि की राशि का पृष्ठ)। ☐

(च) भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र / अद्यतन लगान रसीद / लीज एकरारनामा की छाया प्रति। ☐

(छ) भूमि के नजरी नक्शा की प्रति। ☐

(ज) बकरी फार्म स्थापना के लिये लाभुक के स्तर से व्यय की जाने वाली राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य। ☐

(झ) बकरी पालन का प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य। ☐

(ञ) प्रोजेक्ट रिर्पोट। ☐

(ट) हाइड्रोपोनिक्स विधि से चारा उगाने हेतु शपथ पत्र (अनुलग्नक– 3)। ☐

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

हमारा बिहार

बिहार सरकार

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सभी सूचनाएँ सही हैं। मेरे द्वारा पूर्व में विभाग की तरफ से बकरी फार्म की स्थापना हेतु कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है। पशुपालन निदेशालय, बिहार द्वारा राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत बकरी पालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा / बकरी उपलब्धता सूनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्रों में बकरी फार्म की स्थापना (100 बकरी + 05 बकरा एवं 500 बकरी + 25 बकरा क्षता) पर अनुदान की योजना के लिए निर्धारित सभी शर्तों का मेरे द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा।

तिथि :– ..../............../........................../ आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :– .... .आवेदक का नाम

....

कार्यालय उपयोग हेतु।

(संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1. आवेदक का नाम :– ....
2. ऑनलाईन GENERATE आई0 डी0 संख्या –

3. आवेदन प्राप्ति की तिथि : –

4. आवेदन प्राप्ति का समय : –

दूरभाष संख्या: 0612-2215962 **ई-मेल:** dirahd-bih@nic.in **वेबसाइट:** state.bihar.gov.in/ahd

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15
बिहार सरकार

प्रपत्र–1

जिला पशुपालन कार्यालय, ...

(स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोपरान्त संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को समर्पित किया जाएगा)

वित्तीय वर्ष 2025–26 में सात निश्चय–2 के तहत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में 100 बकरी + 05 बकरा एवं 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता के बकरी फार्म की स्थापना पर अनुदान की योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु।

त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति का जाँच प्रतिवेदन

बकरी इकाई की क्षमता : (क)100 बकरी + 05 बकरा ☐ (ख) 500 बकरी + 25 बकरा ☐

आवेदक का नाम :– ....

1. आई0 डी0 संख्या –

2. कोटि :– (क) सामान्य – ☐ (ख) अनुसूचित जाति– ☐ (ग)अनुसूचित जन जाति– ☐

3. आवेदक के द्वारा वित्तिय व्यवस्था का प्रकार :
   स्वलागत – ☐ बैंक ऋण– ☐ (सही बॉक्स में ✓ लगायें)

4. पिता / पति का नाम : – ....

5. ग्राम – .... पो0– ....
   थाना – .... प्रखंड – ....

   पिन कोड – .... जिला –..द्वारा

"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत निजी क्षेत्रों में 100 बकरी + 05 बकरा क्षमता ☐ एवं 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता ☐ के बकरी फार्म की स्थापना पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु समर्पित किये गये आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाओं/तथ्यों की जाँच की गई एवं आवेदक के द्वारा प्रस्ताावित बकरी फार्म स्थल पर जाकर स्थलीय जाँच की गई।

दूरभाष संख्या: 0612-2215962 **ई-मेल:** dirahd-bih@nic.in **वेबसाइट:** state.bihar.gov.in/ahd

i. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र मे अंकित सभी सूचना/तथ्य जाँचोपरान्त सही पाया गया/सही नहीं पाया गया।*(जो लागू न हो उसे काट दें)*

ii. आवेदक द्वारा प्रस्तावित बकरी फार्म स्थल पर बकरी फार्म का निर्माण किया जा सकता है/नहीं किया जा सकता है।*(जो लागू न हो उसे काट दें)*

iii. आवेदक को ***"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"*** के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में .... बकरी + ... बकरा क्षमता की स्थापना" पर अनुदान की योजना हेतु चयनित करने की अनुशंसा की जाती है / निम्नलिखित कारणों से आवेदन अस्वीकृत किया जाता है *(जो लागू न हो उसे काट दें)*. –

प्रतिलिपिः– जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का हस्ताक्षर मुहर। (सदस्य)	भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर मुहर। (सदस्य)	जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर।

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुपालन निदेशालय

विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

हमारा बिहार

बिहार सरकार

प्रपत्र–2

जिला पशुपालन कार्यालय,................................

(जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर पर गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा तैयार किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2025–26 में सात निश्चय–2 के तहत "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत "निजी क्षेत्र में बकरी फार्म (100 बकरी + 5 बकरा एवं 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता) की स्थापना पर अनुदान की योजना"का लाभ प्राप्त करने हेतु

आवेदन का जाँच पत्र

---

1. आवेदक का नाम :– ....

2. आई0 डी0 संख्या –

3. कोटि :– (क) सामान्य – ☐ (ख) अनुसूचित जाति– ☐ (ग) अनुसूचित जन जाति– ☐

4. आवेदक के द्वारा वित्तिय व्यवस्था का प्रकार :

   स्वलागत – ☐ बैंक ऋण– ☐ (सही बॉक्स में ✓ लगायें)

5. पिता / पति का नाम : – ....

6. ग्राम – .... पो0– ....

   थाना – .... प्रखंड – ....

   पिन कोड – .... जिला – ....द्वारा

   "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत "निजी क्षेत्र में बकरी फार्म (100 बकरी + 5 बकरा एवं 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता) की स्थापना पर अनुदान की योजना"का लाभ प्राप्त करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से सही है/ आवेदन पत्र में निम्नांकित आपत्ति पायी गयी हैं (जो लागू न हों उसे काट दें) :–

   i. ....

   ....

दूरभाष संख्या: 0612-2215962 **ई-मेल:** dirahd-bih@nic.in **वेबसाइट:** state.bihar.gov.in/ahd

ii. ....

....

....

iii. ....

....

आवेदक द्वारा उक्त आपत्ति के निराकरण हेतु आवश्यक साक्ष्य समर्पित करने हेतु अंतिम तिथि/समय दिनांक–......... .... के 5.00 बजे अप0 तक निर्धारित की जाती है। आवेदक द्वारा समर्पित की गई आपत्तियों की सुनवाई दिनांक–................................ को .... बजे पूर्वा0/अप0 में की जायेगी जिसमें आवेदक को स्वयं उपस्थित रहना होगा। *(आवेदन पत्र में आपत्तिपाये जाने की स्थिति में भरा जायेगा)*

सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
जिला पशुपलान कार्यालय	जिल पशुपालन कार्यालय	(जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...)
के वरीय पदाधिकारी	के वरीय पदाधिकारी	

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15
बिहार सरकार

प्रपत्र–3

क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय,.............................

(क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन के स्तर पर गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा तैयार किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2025–26 में सात निश्चय–2 के तहत "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत "निजी क्षेत्र में बकरी फार्म (100 बकरी + 5 बकरा एवं 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता) की स्थापना पर अनुदान की योजना" का लाभ प्राप्त करने हेतु

आवेदन का जाँच पत्र

1. आवेदक का नाम :– ....
2. आईo डीo संख्या –

3. कोटि :– (क)सामान्य –☐ (ख) अनुसूचित जाति– ☐ (ग) अनुसूचित जन जाति– ☐
4. आवेदक के द्वारा वित्तिय व्यवस्था का प्रकार :

   स्वलागत – ☐ बैंक ऋण– ☐ (सही बॉक्स में ✓ लगायें)
5. पिता / पति का नाम : – ....
6. ग्राम – .... पो0– ....

   थाना – .... प्रखंड – ....

पिन कोड – .... जिला – ....द्वारा 1– प्रखण्ड स्तरीय जॉच पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र– 3 में अंकित सभी सूचना/तथ्य जाँचोपरान्त सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। *जो लागू न हो उसे काट दें)*

7. आवेदक द्वारा प्रस्तावित बकरी फार्म स्थल पर बकरी फार्म का निर्माण किया जा सकता है/नहीं किया जा सकता है। *(जो लागू न हो उसे काट दें)*

8 .आवेदक को ***"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"*** के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में .... बकरी + ... बकरा **क्षमता की स्थापना**" पर अनुदान की योजना हेतु चयनित करने की अनुशंसा की जाती है/निम्नलिखित कारणों से आवेदन अस्वीकृत किया जाता है (जो लागू न हो उसे काट दें):–

....

....

सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय के वरीय पदाधिकारी	क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय के वरीय पदाधिकारी	(क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, ...)

दूरभाष संख्या: 0612-2215962 **ई-मेल:** dirahd-bih@nic.in **वेबसाइट:** state.bihar.gov.in/ahd

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुपालन निदेशालय

विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

प्रपत्र–4

क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय,...............................

(क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय द्वारा पशुपालन निदेशालय को सर्मपित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2025–26 में सात निश्चय–2 के तहत "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत "निजी क्षेत्र मेंबकरी फार्म 100 बकरी + 5 बकरा एवं 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता की स्थापना पर अनुदान की योजना"का लाभ प्राप्त करने हेतु

अंतिम रूप से चयन हेतु अनुशंसा पत्र

---

1. आवेदक का नाम :– ....

2. आई0 डी0 संख्या –

3. कोटि :– (क)सामान्य – ☐ (ख)अनुसूचित जाति– ☐ (ग)अनुसूचित जन जाति– ☐

4. आवेदक के द्वारा योजना को पूर्ण करने हेतु अनुदान के अतिरिक्त राशि की (वित्तिय) व्यवस्था का प्रकार :

   स्वलागत – ☐ बैंक ऋण– ☐ (सही बॉक्स में ✓लगायें)

5. पिता / पति का नाम : – ....

6. ग्राम – .... पो0– ....

   थाना – .... प्रखंड – ....

   पिन कोड – .... जिला – ....

द्वारा "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत "निजी क्षेत्र में बकरी फार्म (100 बकरी + 5 बकरा एवं 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता) की स्थापना पर अनुदान की योजना" का लाभ प्राप्त करने हेतु समर्पित आवेदन को जिला पशुपालन पदाधिकारी, ... की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति की अनुशंसा (ज्ञापांक...............................दिनांक–...............................) (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में अंतिम रूप से चयन करने हेतु अनुशंसा की जाती है/ निम्नलिखित कारणों से आवेदन अस्वीकृत किया जाता है (*जो लागू न हो उसे काट दें*): –

....

....

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक–.../ दिनांक –................................/

प्रतिलिपि :–निदेशक, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन।

दूरभाष संख्या: 0612-2215962 **ई-मेल:** dirahd-bih@nic.in **वेबसाइट:** state.bihar.gov.in/ahd

हमारा बिहार

बिहार सरकार

प्रपत्र–5

वित्तीय वर्ष 2025–26 में सात निश्चय–2 के तहत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में 100 बकरी + 5 बकरा एवं 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता के बकरी फार्म की स्थापना पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

एकरारनामा

(1000/– रूपये (एक हजार) के ननज्यूडिसीयल स्टाम्प पेपर पर)

1. यह एकरारनामा पशु एवं मत्स्य संसाधन (पशुपालन) विभाग, विकास भवन, बिहार, पटना की ओर से जिला पशुपालन पदाधिकारी .... एवं श्री/श्रीमती ....

   ....

   ....(बकरी फार्म के संस्थापक का नाम एवं पूरा पता) के बीच आज दिनांक– .... को .... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में संपादित (Execute) किया गया।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में सात निश्चय–2 के तहत विभागीय स्वीकृति आदेश पत्र संख्या–6 एस0एस0 (6) 42/2014– 2240, दिनांक– 21.05.2025 के क्रम में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत निजी क्षेत्रों में **Goat Farm** (100 बकरी + 5 बकरा एवं 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता) की स्थापना पर अनुदान योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु पशुपालन निदेशालय के पत्रांक–............ दिनांक–............................द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र के आलोक में श्री ....

   ....

   .... (बकरी फार्म के संस्थापक का नाम एवं पूरा पता) को ....

   .... (जिस स्थान पर बकरी फार्म स्थापित किया जाना है, उसका पूरा पता) में Goat Farm की स्थापना करने हेतु चयनित किया गया है।

3. यह कि विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों (नियम एवं शर्त्तो) के अनुरूप Goat Farm के संस्थापक द्वारा Goat Farm का स्थापना एवं संचालन किया जाएगा।

4. संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं लाभुक के बीच एकरारनामा संपादित किये जाने के उपरान्त उनके द्वारा समर्पित परियोजना प्रस्ताव/ संगत विभागीय राज्यादेश के साथ संलग्न Model Project Report के अनुरूप 60 **दिनों के अन्दर** बकरी फार्म (Goat Farm) के आधारभूत संरचना का निर्माण कर लिया जायेगा। शेड निर्माण में पक्का फर्श एवं दिवाल के उपर लोहे की मोटी जाली, सीमेन्ट, छड़ एवं गिट्टी या ईट का प्लास्टर पीलर तथा छत में लोहे का ट्रस एवं छत एस्बेस्ट्स या सी0जी0 आई0 शीट या टिन/ फाईवरशीट का उपयोग होगा। इसके पश्चात् अगले 15 दिनों में बकरी/बकरा का क्रय कर विधिवत् फार्म का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5. बकरी फार्म (Goat Farm) के आधारभूत संरचना का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त इसकी सूचना लाभुक द्वारा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जाएगी। एकरारनामा संपादित करने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर बकरी फार्म (Goat Farm)के आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं करने की स्थिति में संबंधित लाभुक का स्वीकृति पत्र निरस्त करने का अधिकार क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को होगा एवं इसके लिए लाभुक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

6. लाभुक के द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन विहित प्रपत्र (प्रपत्र–6) में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। जिसकी प्राप्ति आवेदक को दी जाएगी। आवेदन पत्र के साथ बकरी फार्म (Goat Farm) के साथ लाभुक का फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया जायेगा। स्थल निरीक्षण के समय आपका स्थल (बकरी फार्म) पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा। स्थल निरीक्षण के क्रम में **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा पूरे बकरी फार्म की विधिवत् रूप से फोटोग्राफी करायी जायेगी।

8. **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा बकरी फार्म का स्थल निरीक्षण कार्यान्वयन अनुदेश मे निहित प्रावधानों एवं आवश्यक जाँचोंपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात् आपको अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु अपनी अनुशंसा के साथ जाँच प्रतिवेदन **प्रपत्र–7** के साथ सभी आवश्यक कागजात (बकरी फार्म के रंगीन फोटोग्राफ/क्रय किये गये बकरियों सहित) संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बी0एल0डी0ए0, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। लाभुकों को अनुदान भुगतान कार्यान्वयन अनुदेश में निहित प्रावधानों के आलोक में ही किया गया है अथवा नही कि सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी की होगी।

9. प्रपत्र– 7 के साथ सभी आवश्यक कागजात (सभी वांछित अनुलग्नकों सहित) प्राप्त होने के 10 दिनों के अन्दर बी0एल0डी0ए0, पटना द्वारा अनुदान की राशि संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर लाभुक को एकाउन्टपेयी चेक/खाता अंतरण (DBT/RTGS/NEFT) के माध्यम से अनुदान की राशि का भुगतान की जायेगी।

10. हरा चारा उत्पादन एवं हाईड्रोपोनिक्स विधि से चारा उत्पादन हेतु अनुदान की राशि द्वितीय किस्त में ही समाहित है, जिसका भुगतान प्रत्येक वर्ष के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर लाभुक को योजना के अंतिम वर्ष में किया जायेगा।

11. लाभुक को अनुदान की राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा।

12. किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिए अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

13. किसी प्रकार का वैधानिक मामला जिला–पटना, बिहार के क्षेत्रान्तर्गत होगा।

विभाग के प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर,	लाभुक/बकरी फार्म के
नाम एवं पदनाम	संस्थापक का हस्ताक्षर एवं पूरा पता
नाम डा०	श्री ....
जिला पशुपालन पदाधिकारी	....
दो गवाहों का हस्ताक्षर	दो गवाहों का हस्ताक्षर
(पूरा नाम एवं पदनाम सहित)	(पूरा नाम एवं पदनाम सहित)
1	1 ....
2	2 ....

प्रपत्र – 6

वित्तीय वर्ष 2025–26 में सात निश्चय–2 के तहत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में 100 बकरी + 5 बकरा एवं 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता के बकरी फार्म की स्थापना पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

अनुदान राशि की प्रथम किस्त ☐ / द्वितीय किस्त ☐ प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र।

(सही बॉक्स में ✓लगायें)

पशुपालन निदेशालय के स्वीकृति पत्र सं0–..............., दिनांक–............................के आलोक में मैं, (आवेदक का नाम)

....

....

आई0 डी0 संख्या –

कोटि :– (क) सामान्य जाति – ☐ (ख) अनुसूचित जाति – ☐ (ग) अनुसूचित जन जाति – ☐

बकरी इकाई की क्षमता : (क) 100 बकरी + 05 बकरा ☐ (ख) 500 बकरी + 25 बकरा ☐

पिता/पति का नाम :– ....ग्राम : ....पोस्ट : ....थाना : .... प्रखंडः ....जिला : ....पिन कोड : .... द्वारा अनुदान की राशि प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त के लिए दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। *(जो लागू न हो उसे काट दें)*

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

हमारा बिहार

बिहार सरकार

सेवा में,

जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...,

(I.) मेरे द्वारा आवेदन पत्र के साथ समर्पित परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप बकरी फार्म स्वलागत/ बैंक ऋण से (100 बकरी+5 बकरा क्षमता ☐ 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता ☐ के आधारभूत संरचना का निर्माण / बकरा–बकरी का क्रय कर लिया गया है (जो लागु ना हो उसे काट दें)। प्रमाण स्वरूप बकरी फार्म के आधारभूत संरचना / क्रय किये गये बकरा – बकरी (लाभुक के साथ) का फोटोग्राफ संलग्न किया जा रहा है।

(II.) मुझे अनुदान के रूप में रूपये .... (अंक में) रूपये .... (शब्दों में) का भुगतान करने की कृपा की जाये।

अनुदान की राशि प्राप्ति हेतु बैंक की विवरणी :–

बैंक का नाम	खाते का प्रकार (बचत खाता / ऋण खाता)	खाता संख्या	आई0 एफ0 एस0 सी0

(बैंक ऋण होने की स्थिति में अनुदान की राशि ऋण खाते में ही देय होगी इसलिए ऋण खाते की विवरणी दें।)

तिथि ..../.........../......................./ आवेदक का हस्ताक्षर

(अनुदान राशि प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र में लाभुक अपना नाम, आई0 डी0 संख्या, हस्ताक्षर तथा तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे)

प्रपत्र–7

जिला पशुपालन कार्यालय, ...

वित्तीय वर्ष 2025–26 में सात निश्चय–2 के तहत "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के अंतर्गत निजी क्षेत्रों में 100 बकरी +5 बकरा एवं 500 बकरी + 25 बकरा की क्षमता के बकरी फार्म की स्थापना पर अनुदान की योजना के तहत

अनुदान की राशि प्राप्ति के लिए लाभूक द्वारा समर्पित आवेदन पत्र का जाँच पत्र

लाभुक के बकरी फार्म इकाई की क्षमता : (क) 100 बकरी+05 बकरा ☐ (ख) 500 बकरी+25 बकरा ☐

लाभुक द्वारा अनुदान राशि की : –प्रथम किस्त ☐ / द्वितीय किस्त ☐ हेतु प्रपत्र 6 प्राप्त।*(सही बॉक्स में ✓लगायें)*

आई0 डी0 संख्या –

पशुपालन निदेशालय के स्वीकृति पत्र संख्या ....दिनांक ....
... के आलोक में आवेदक श्री/श्रीमति/सुश्री ....
........................पिता/पति का नाम :– ....कोटि : .... ग्राम : ....
.... पोस्ट : ....थाना : .... प्रखंडः ....
....................................जिला : ....पिन कोड : .... द्वारा अनुदान की राशि की प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त *(जो लागू न हो उसे काट दें)* के भुगतान के लिए समर्पित आवेदन (प्रपत्र – 06)/दावा के आलोक में लाभुक के द्वारा स्वलागत / बैंक ऋण से स्थापित बकरी फार्म (100 बकरी + 05 बकरा एवं 500 बकरी + 25 बकरा) के आधारभूत संरचना / क्रय किये गये बकरी – बकरा (*जो लागू न हो उसे काट दें*) की स्थल पर जाकर जाँच की गई। जाँचोपरान्त पाया गया कि लाभुक द्वारा–

i. 100 बकरी + 05 बकरा के बकरी फार्म का आधारभूत संरचना का निर्माण ☐/ 100 बकरी + 05 बकरा का क्रय कर लिया गया है ☐ *(अभिप्रमाणित फोटोग्राफ संलग्न)*

ii. 500 बकरी + 25 बकरा के बकरी फार्म का आधारभूत संरचना का निर्माण ☐/ 500 बकरी + 25 बकरा का क्रय कर लिया गया है ☐ *(अभिप्रमाणित फोटोग्राफ संलग्न)* *(उपर्युक्त में जो लागु हो उसके सामने के बॉक्स में ✓ का चिन्ह लगायें।)*

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

अनुदान की राशि प्राप्ति हेतु राशि एवं बैंक की विवरणी :–

स्वीकृत अनुदान की राशि	बैंक का नाम	खाता संख्या	खाते का प्रकार (बचत खाता / ऋण खाता)	आई0 एफ0 एस0 सी0

(बैंक ऋण होने की स्थिति में अनुदान की राशि ऋण खाते में ही देय होगी इसलिए ऋण खाते की विवरणी दें।)

लाभुक श्री / श्रीमती / सुश्री .... को उर्पयुक्त विवरणी के अनुसार अनुदान राशि (प्रथम किस्त / द्वितीय किस्त) *(जो लागू न हो उसे काट दें)* रूपये ....(अंक में), रूपये ....(शब्दो में) का भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है / अनुदान भूगतान निम्नलिखित कारणों से लंबित रखने / अस्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है। *(जो लागू न हो उसे काट दें)*

....

....

....

भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त)/सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का हस्ताक्षर	जिला पशुपालन पदाधिकार ....।	क्षेत्रीय निदेशक, पशपुालन/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी (अध्यक्ष)

ज्ञापांक ..../ दिनांक ..../

प्रतिलिपि :– त्रि – सदस्यीय समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पशुपालन पदाधिकारी

अनुलग्नकः— 1

Project Report for Establishment of Goat Fram (100+5 Buck)

A. Non recurring expenditure:-

1. Floor space for shed construction

a.	100 goat x12 sq ft	=1200 sq ft
b.	5 Bucks x15 sq ft	=75 sq ft
c.	200 Kid x8 sq ft (upto age of 10-12 months)	=1600 sq ft
	Total Area	=2875 sq ft

Cost of construction of shed (Bricks work, thick wire net with asbestos roof)

@ Rs. 225/sq ft(225x2875 sq ft) = **6,47,000=00**

2. Cost of breedable Goat/Buck
   - **a.** Cost of breedable goat (Body wt 20kg) 100 No (@Rs.5000/Goat x100) **=5,00,000=00**
   - **b.** Cost of breedable Buck @Rs.6000/ buck x5 **=30,000=00**

   Total **= 5,30,000**
3. Cost of Insurance @5% =Rs.26500/- approx. **=27,000=00**
4. Cost of Green fodder production @Rs.10,000/acre/crop for kharif & Rabi crop annually for 5 yrs(10000x2x5) =1,00,000=00
5. **5.** Lumpsum Cost of Hydroponics and Boring set **=5,17,000=00**
   (As per annexure 1 (A))

Total Cost with fodder land (1+2+3+4) **=13,04,000=00**

Total Cost with Hydroponics system (1+2+3+5) =17,21,000=00

Subsidy @50% for Gen =8,60,500/-

Subsidy @60% for SC/ST =10,32,600/-

B. Recurring Expenditure

1. Feeding of 105 nos of Goat & Buck for 12 month @300gm/day/goat or buck @Rs.22/kg of conc Feed 105x0.3kgx365=11497.5 kg or 11500 kgx22 =2,53,000/-
2. Cost of medicine @Rs 150/animal =15,750/-
3. Cost of feeding equipment's and ropes etc (@Rs.300/Animalx105) =31,500/-

Total =3,00,250=00 or **3,00,000/-**

A	Non recurring expenditure (with fodder production on land)	13,04,000
	Non recurring expenditure (with Hydroponics System)	17,21,000
B	Recurring expenditure (To be borne by the beneficiary	3,00,000

Note :- The above price estimation may vary depending on the cost of live animals, feed or construction materials.

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

अनुलग्नक :–1 (ए)

वित्तीय वर्ष 2025-26 में "सात निश्चय–2 अन्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत निजी क्षेत्र में बकरी फार्म (Goat Farm) 100 बकरी + 05 बकरा क्षमता की स्थापना पर हाईड्रोपोनिक्स विधि से चारा उत्पादन के लिए संयंत्र के संस्थापन हेतु अनुमानित लागत की विवरणी :–

Costing Detail of Installation of 200KG Per Day
(For Goat farm of capacity 100+05)

Hydroponic fodder Production Unit (200KG Per Day capacity)	
Hydroponic Machine Cost	2,10,000.00
Roof Preparation cost (Fiber/Metalsheet, Pipes, fitings and Marketing Cost)	30,000.00
Floor Cemented Preparation Cement, Bricks, Sand, Marking (Cost)	34,000.00
Water Tankand Plumbing (WaterTank (1000L), Pipe, fitting and Marketing cost)	35,000.00
Hydroponioc Installation Charge	4,608.00
Goods Transportation Charge	3,000.00
Boring+Moter (2HP Single Phase)	1,45,000.00
Total	4,61,608.00
GSTCost (12%)	55,393
Grand Total	5,17,001.00

or, Rs. 5,17,000/- (approx.)

निदेशक, पशुपालन।

अनुलग्नकः– 2

Project Report for Establishment of Goat Fram (500+25 Buck)

A. Non recurring expenditure:-

1. Floor space for shed construction

a. 500 goat x12 sq ft	=6000 sq ft
b. 25 Bucks x15 sq ft	=375 sq ft
c. 1000 Kid x8 sq ft (upto age of 10-12 months)	=8000 sq ft
Total Area	=14375 sq ft

Cost of construction of shed (Bricks work, thick wire net with asbestos roof)

@ Rs. 225/sq ft(225x14375 sq ft) =32,34,000=00

2. Cost of breedable Goat/Buck

a. Cost of breedable goat (Body wt 20kg) 500 No (@Rs.5000/Goat x100)	=25,00,000=00
c. Cost of breedable Buck @Rs.6000/ buck x25	=1,50,000=00
Total	**=26,50,000=00**

3. Cost of Insurance @5% =132500/- approx.	=1,33,000=00
4. Cost of Green fodder production @Rs.50,000/5 acre/crop for kharif & Rabi crop annually for 5 yrs(50000x2x5)	=5,00,000=00
5. Lumpsum Cost of Hydroponics and Boring set (As per annexure 2 (A))	=20,00,000=00
Total Cost with fodder production on land (1+2+3+4)	=65,20,000 (Round off)
Total Cost with Hydroponics system (1+2+3+5)	**=80,17,000=00 (approx.)**

Subsidy @50% for Gen =40,08,500/-
Subsidy @60% for SC/ST =48,10,200/-

B. Recurring Expenditure

a. Feeding of 525 nos of Goat & Buck for 12 month @300gm/day/goat or buck @Rs.22/kg of conc Feed 525x0.3kgx365=57487.5 kg or 57490 kgx22	=12,64,780/-
b. Cos of medicine @Rs 150/animal for 525 animal	=78,750/-
c. Cost of feeding equipment's and ropes etc (@Rs.300/Animalx525)	=1,57,500/-
Total	=15,01,030=00 Or 15,01,000/-

A	Non recurring expenditure (with fodder production on land)	65,20,000
	Non recurring expenditure (with Hydroponics System)	80,17,000
B	Recurring expenditure (To be borne by the beneficiary	15,01,000

Note :- The above price estimation may vary depending on the cost of live animals, feed or construction materials.

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

अनुलग्नक :–2 (ए)

वित्तीय वर्ष 2025-26 में "सात निश्चय–2 अन्तर्गत *"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"* के तहत निजी क्षेत्र में बकरी फार्म (Goat Farm) 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता की स्थापना पर हाईड्रोपोनिक्स विधि से चारा उत्पादन के लिए संयंत्र के संस्थापन हेतु अनुमानित लागत की विवरणी :–

Hydroponic fodder Production Unit(For Goat farm of capacity 500+25)

Hydroponic fodder Production Unit (1000KG Per Day capacity)	
Hydroponic Machine Cost	10,50,000.00
Roof Preparation cost (Fiber/Metalsheet, Pipes, fitings and Marketing Cost)	1,50,000.00
Floor Cemented Preparation Cement, Bricks, Sand, Marking (Cost)	1,70,000.00
Water Tankand Plumbing (WaterTank (1000L), Pipe, fitting and Marketing cost)	1,75,000.00
Hydroponioc Installation Charge	23,040.00
Goods Transportation Charge	15,000.00
Boring+Moter (5HP Single Phase)	2,00,000.00
Total	17,83,040.00
GST Cost (12%)	2,13,965
Grand Total	19,97,005

or, Rs. 20,00,000/- (approx.)

निदेशक, पशुपालन।

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

<u>अनुलग्नक– 3</u>

वित्तीय वर्ष 2025–26 में ''सात निश्चय–2 अन्तर्गत "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत निजी क्षेत्र में बकरी फार्म (Goat Farm) 100 बकरी + 05 बकरा/ 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता की स्थापना पर हाईड्रोपोनिक्स विधि से चारा उत्पादन के लिए संयंत्र के संस्थापन हेतु शपथ पत्र।

शपथ पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती ....पिता–...
पता–...
...............................राज्य– बिहार का निवासी हूँ शपथपूर्वक निम्न बातों की घोषणा करता/करती हूँ कि:–
2. यह कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में सात निश्चय–2 अन्तर्गत "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत निजी क्षेत्र में बकरी फार्म (Goat Farm) 100 बकरी + 05 बकरा/ 500 बकरी + 25 बकरा क्षमता की स्थापना की योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु पशुपालन निदेशालय द्वारा निर्धारित मापदंडों (नियम एवं शर्त्तों) के अनुरूप मेरे द्वारा बकरी पालन किया जाएगा।
3. यह कि मेरे द्वारा उक्त योजना में हाईड्रोपोनिक्स विधि से चारा उत्पादन के लिए संयंत्र का संस्थापन किया जायेगा।
4. यह कि मेरे द्वारा हाईड्रोपोनिक्स विधि से चारा उत्पादन के लिए संयंत्र का संस्थापन करने हेतु मेरे पास पर्याप्त जमीन है।
5. यह कि किसी प्रकार का वैधानिक मामला जिला–पटना, बिहार के क्षेत्रान्तर्गत होगा।

उपरोक्त शपथ पत्र में लिखी गयी बातें मेरी जानकारी में सही वो सत्य है। इस शपथ पत्र के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार होउँगा/होउँगी।

शपथकर्त्ता/लाभुक का नाम एवं हस्ताक्षर

पता–